<u>शीर्ष प्राथमिकता/समयबध्द</u>

<u>संख्या-2/2022/205/तीन-2022-6(12)/2018</u>

प्रेषक,

डा0 हरिओम,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2- जिलाधिकारी, आगरा।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 21 मार्च, 2022

विषयः- अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत पुरस्कृत किये गये उत्तर प्रदेश के 02 नागरिकों को वित्तीय वर्ष 2021-22 व पूर्व के वर्षों की एकमुश्त/वार्षिकी की धनराशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2487/तीन-5(9)/85सा0प्र0अनु0, दिनांक 07 जुलाई, 1987 एवं शासनादेश संख्या-वी0आई0पी0-111/तीन-98-5(14)/ 97सा0 प्र0अनु0, दिनांक 06 मई, 1999, शासनादेश संख्या-2028(1)/तीन-2008- 5(1)/2004, दिनांक 21 सितम्बर, 2008 एवं शासनादेश संख्या-647/तीन-2018-10 (35)/2016, दिनांक 10-10-2018 के अनुसार अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत अशोक चक्र एवं शौर्य चक्र से अलंकृत उत्तर प्रदेश के 02 नागरिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार कुल **धनराशि रू0 13,94,800/-** (रू0 तेरह लाख चौरानबे हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि का भुगतान किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

क्रमांक	अलंकृत व्यक्ति का नाम एवं पदनाम	अलंकरण/ पुरस्कार का नाम तथा प्रदान किये जाने की तिथि	अलंकृत व्यक्ति के स्थायी निवास का पता	राज्य सरकार से अनुमन्य धनराशि/एकमुश्त/ वार्षिकी एवं संगत वित्तीय वर्ष	धनराशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति
1	2	3	4	5	6
1	कर्नल जस राम सिंह	अशोक चक्र 01-01-1969	ग्राम व पोस्ट- भभोकरा, तहसील- जेवर, गौतमबुध्द नगर।	(दिनॉक 01-01-1986 से पूर्व के पुरस्कृत महानुभाव) वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 व 2021-2022 में अनुमन्य वार्षिकी **रू0 1,56,000/- प्रति वर्ष की दर से रू0 6,24,000/-**	कर्नल जस राम सिंह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2	श्री चेतन कुमार राणा	शौर्य चक्र, 15-08-2004	निवासी- म0नं0- 34/95/34बी दुर्गा पैलेस बिहार, देवरी रोड आगरा।	वित्तीय वर्ष 2004-05 को अनुमन्य **एकमुश्त रू0 10,000/-,** वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 हेतु **रू0 200/- प्रतिवर्ष की दर से अनुमन्य वार्षिकी रू0 800/-** एवं वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 2016-17, 2017-18 हेतु **रू0 50,000/- प्रति वर्ष की दर से वार्षिकी रू0 5,00,000/-** तथा वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 व 2021-2022 में अनुमन्य वार्षिकी **रू0 65,000/- प्रति वर्ष की दर से रू0 2,60,000/-** --- **10,000 + 800 + 5,00,000 + 2,60,000 = कुल रू0 7,70,800/-**	श्रीमती दिलू राणा (माता)
			योगः	**रू0 13,94,800/-**	
(रू0 तेरह लाख चौरानबे हजार आठ सौ मात्र)					

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के लेखा शीर्षक ''2075-विविध सामान्य सेवाएं-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-अशोक चक्र श्रृखला के अन्तर्गत उल्लिखित

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एकमुश्त धनराशि-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

3- जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे की उपर्युक्त पुरस्कार विजेता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं।

4- जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि वार्षिकी की धनराशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रथम उत्तराधिकारी के बैंक खाते की पहचान नियमानुसार करने के उपरान्त म्समबजतवदपब निदक ज्तंदेमित से सही व्यक्ति को समय से वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्दर भुगतान किया जायेगा। यह भी सत्यापित कर लिया जाए कि भुगतान के समय प्रथम उत्तराधिकारी जीवत हो।

5- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित करके उल्लिखित व्यक्ति को भुगतान करा दी जाए तथा कोषागार से आहरण की तिथि तथा बाउचर संख्या महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज तथा शासन को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाए। संबंधित जिलाधिकारी स्वीकृत धनराशि हस्तगत कराने से पूर्व संबंधित लाभार्थी का ''जीवित प्रमाण-पत्र'' प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं तद्नुसार शासन को भी सूचित करेंगे। यह शासनादेश एवं ग्रिड रिपोर्ट www.shasanadesh.up.gov.in पर भी उपलब्ध है।

भवदीय,
डा0 हरिओम,
सचिव।

संख्या- 205(1)/तीन-2021-6(12)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- कोषाधिकारी, गौतमबुध्द नगर/आगरा।
3- रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, उ0प्र0, कैसरबाग, लखनऊ।
6- जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, गौतमबुध्द नगर/आगरा।
7- कर्नल जसराम सिंह, ग्राम व पोस्ट- भभोकरा, तहसील- जेवर, गौतमबुध्द नगर-203155
8- शहीद चेतन कुमार राणा, निवासी-म0नं0- 34/95/34बी दुर्गा पैलेस बिहार, देवरी रोड, आगरा।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमेश यादव,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Sanction Report

सामान्य प्रशासन

स्वीकृति आदेश संख्या: 002-6-12-2018 **स्वीकृति तिथि:** 21/03/2022

अनुदान संख्या: 84 - सामान्य प्रशासन विभाग

लेखाशीर्षक: 2075008000300 - अशोक चक्र श्रृखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उ. प्र. के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एक मुश्त धनराशि

आयोजनेत्तर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

मानक मद	प्रावधान	पूर्व स्वीकृति वर्तमान/प्रेक्षित स्वीकृति	
42 - अन्य व्यय	30,000,000.00	15,795,200.00	1,394,800.00
योग :	**30,000,000.00**	**15,795,200.00**	**1,394,800.00**

उमेश यादव
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022

आवंटन दिनांक-21/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1

आवंटन आदेश संख्या:- 001-205-3-2022

अनुदान संख्या:- 84 सामान्य प्रशासन विभाग(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2075 - विविध सामान्य सेवायें(आयोजनेत्तर-मतदेय)

800 - अन्य व्यय

03 - अशोक चक्र श्रृखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उ. प्र. के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एक मुश्त धनराशि

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	आगरा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	770800 1225800	770800 1225800
2	गौतमबुद्ध नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	624000 1339000	624000 1339000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1394800 2564800	1394800 2564800

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तेरह लाख चौरानवे हजार आठ सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पच्चीस लाख चौसठ हजार आठ सौ

उमेश यादव

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।